तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/3369/2004/जयपुर सरकार बनाम बादामी देवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित–

श्री लोकेन्द्रसिंह राणावत, उपराजकीय अभिभाषक प्रार्थी
श्री मोहम्मद इकबाल, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या–1
अप्रार्थी संख्या –2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः 26–11–2019

यह रेफरेन्स धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, तृतीय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–01–2004 से प्रेषित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं तहसीलदार, फुलेरा ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भू–प्रबन्ध खतौनी 2011–29 के खाता संख्या 156 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 911 रकबा 24बीघा 15बिस्वा भूमि माफी मन्दिर श्री गोपीनाथ जी बहतमाम पुजारी भूरामल वल्द श्योनारायण, मगनलाल वल्द रामेश्वर कौम ब्राहमण साकिन भैसावा दर्ज थी। उक्त भूमि में से 12बीघा भूमि का बैचान प्रहलाद वल्द भूरामल द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 बिदामी देवी को कर विक्रयपत्र दिनांक 19–08–1997 को पंजीकृत करा दिया, जिसका नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 30–08–1997 को स्वीकार किया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2056–59 में उक्त भूमि खसरा नम्बर 911/1/2 रकबा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/3369/2004/जयपुर सरकार बनाम बादामी देवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	12बीघा श्रीमती बिदामी देवी तथा खसरा नम्बर 911/2/1 रकबा 12बीघा 15बिस्वा भूतमि प्रहलाद पुत्र भूरामल के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त विवादित आराजी मूर्ति मन्दिर की भूमि है, जिसका विक्रेता द्वारा अवैध बैचान किया गया है। विवादित आराजी मूर्ति मन्दिर की भूमि होने से विक्रेता एवं पुजारी को विवादित आराजी पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। अतः विवादित सम्पूर्ण आराजी को पुनः मूर्ति मन्दिर के नाम दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई विवादग्रस्त आराजी मूर्ति मन्दिर चारभुजा जी के नाम दर्ज करने हेतु यह रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित किया है। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 तथा 46 के तहत किसी भी व्यक्ति को माफी मन्दिर की भूमि पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। मूर्ति मन्दिर सतत अयवस्क होने के कारण इस कारण माफी मन्दिर की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। उनका कथन है कि विवादित आराजी मूर्ति मन्दिर चारभुजा जी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी, जिसके खातेदारी अधिकार अप्रार्थीगण को दौराने बन्दोबस्त प्रदान कर दिये, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः रेफरेन्स स्वीकार कर विवादग्रस्त भूमि पुनः मन्दिर के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे। योग्य अधिवक्तागण अप्रार्थी संख्या-1 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2011 से 2029 के कृषक के कॉलम संख्या-5 में भूरा वल्द श्योनारायण की काश्त मु0 कदीम से दर्ज है। उनका कथन है कि राजस्थान	

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

रेफरेन्स/एलआर/3369/2004/जयपुर
सरकार बनाम बादामी देवी</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही विवादित आराजी पर भूरामल काश्तकार के रूप में काबिज काश्त चला आ रहा है तथा जागीर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि मूर्ति मन्दिर की खुदकाश्त की भूमि नहीं होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में खातेदारी बाबत् प्रविष्टि अंकित की गयी है। उनका कथन है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 10 के अनुसार माफीदार को तभी खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं जब भूमि उसकी खुदकाश्त की हो। वर्तमान प्रकरण में विवादग्रस्त भूमि माफीदार की खुदकाश्त की न होकर कृषक की खातेदारी की थी। उनका कथन है कि राज्य सरकार द्वारा अत्यधिक विलम्ब से रेफरेन्स प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स खारिज किया जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में 1990 आरएलआर I पेज 161, 2001 आरएलआर I पेज 69, 2000 आरबीजे पेज 251, 2001 आरबीजे पेज 62, 1996 एससीसी I पेज 612 एवं 2011 आरआरटी II पेज 809 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2011 से 2029 के काश्तकार के कॉलम संख्या-5 में भूरामल वल्द श्योनारायण कौम ब्राहमण सा0 देह मु0 कदीम दर्ज है। उक्त से स्पष्ट है कि जागीर का पुर्नग्रहण होने के समय से पूर्व भूरामल विवादग्रस्त भूमि के कृषक दर्ज थे। इसलिये राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

रेफरेन्स/एलआर/3369/2004/जयपुर
सरकार बनाम बादामी देवी</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>1952 प्रभाव में आने तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के समय विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये और राजस्व भू अभिलेखों में सही रूप से उनका नाम खातेदार कृषक के रूप में अंकित किया गया। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 10 के अनुसार माफीदार को तभी खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं जब भूमि उसकी खुदकाश्त की हो।

वर्तमान प्रकरण में विवादग्रस्त भूमि माफीदार की खुदकाश्त की नहीं होकर कृषक की खातेदारी की थी और उसे पूर्ण रूप से हेरिटेबिल तथा ट्रान्सफरेबिल अधिकार थे, जिससे कृषक को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है। अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमति बदामी देवी ने विवादित आराजी खसरा संख्या 911/1/2 रकबा 12 बीघा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19-8-1997 से अभिलिखित खातेदार प्रहलाद पुत्र भूरामल से विधिवत क्रय की है तथा उसके नाम नामान्तरकण संख्या 911 दिनांक 30-8-97भी तस्दीक हो चुका है जिसका अमल दरामद जमाबन्दी संख्या 2056 से 59 में भी दर्ज है।

हम यहां यह उल्लेख करना उचित समझते हैं कि यदि वादग्रस्त भूमि को माफी की भूमि होना माना भी जावे तो सभी प्रकार की जागीरें मय माफी का पुर्नग्रहण हो चुका है और सभी भूमिधारी अधिकारियों के स्थान पर राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी हो चुकी है, जैसा कि पत्रावली में उपलब्ध खेवट खतौनी जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट होता है। इस प्रकार राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार का नाम भूमि अधिकारी के रूप में दर्ज है। जब सभी प्रकार की जागीर/माफी का पुर्नग्रहण हो चुका है तब किसी माफीदार का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/3369/2004/जयपुर सरकार बनाम बादामी देवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया जा सकता। इस परिप्रेक्ष्य में स्वयं राज्य सरकार ने दिनांक 24-5-07 को एक परिपत्र जारी कर निर्देशित किया है कि **-"जागीरों के अधिग्रहण के समय माफी मन्दिर की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम से दर्ज थी, उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त हैं ऐसी भूमियों को पुनः मन्दिरों के नाम दर्ज किया जाना विधिसम्मत नहीं है। राजस्व रेकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।"** ऐसे परिपत्र के पश्चात राज्य सरकार को प्रस्तुत रेफरेन्स को आगे चलाने का अधिकार नहीं है। हम यहॉ यह उल्लेख करना भी उचित समझते है कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24-5-07 के संशोधन बाबत स्वयं राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 6-1-2010 को एक अन्य परिपत्र जारी किया है, जो पूर्व परिपत्रों को स्पष्ट करता है जो निम्नानुसार है- **"माफी मन्दिर की भूमि में खातेदारी अधिकारों के सम्बन्ध में परिपत्र दिनांक 24-5-07 द्वारा अन्तिम तौर पर यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम दर्ज थी, उन खातेदारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरित अधिकार प्राप्त होंगे ऐसी भूमियों के पुनः मन्दिर के नाम दर्ज कराया जाना विधिसम्मत नहीं है। राजस्व रेकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।** **अतः उक्त निर्देशानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 4-3(2)राज.6/2007/44 दिनांक**	

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

रेफरेन्स/एलआर/3369/2004/जयपुर
सरकार बनाम बादामी देवी</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>24-5-07 का गहनता से अवलोकन करावें एवं विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का तथा विभिन्न स्तरों पर त्रुटिवश सन्दर्भ हेतु लम्बित प्रकरणों का निस्तारण तदनुसार ही कराया जाना सुनिश्चित करावें।''
प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 2 अपने पूर्वजों के समय से रिकार्डेड टिनेन्ट रहे है। जागीर उन्मूलन अधिनियम के प्रभाव में आने के दिन अर्थात् दिनांक 08-09-1952 सम्वत् 2009 में भी विवादित भूमि मन्दिर मूर्ति के नाम खुदकाश्त में दर्ज होना दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है। दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 प्रहलाद के पूर्वज विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में टिनेन्ट के कॉलम में स्थायी काश्तकार के तौर पर दर्ज रहे है। इसलिए मूर्ति मन्दिर को विवादित आराजी पर किसी प्रकार के कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते।
राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर उन्मूलन अधिनियम, 1952 की धारा 2(1) में खुदकाश्त भूमि तथा धारा 2(क) तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(23) में खुदकाश्त एवं धारा 5(25) में लैण्ड कल्टीवेटेड पर्सनली को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार यदि भूमि मन्दिर की खुदकाश्त में दर्ज होती है तो ऐसी खुदकाश्त की भूमि पर भले ही किसी भी पुजारी या अन्य के माध्यम से काश्त करवायी जाती हो, वह काश्त मन्दिर की खुदकाश्त की मानी जाती है और जागीर रिज्यूम होने पर विवादित भूमि के खातेदारी अधिकार मन्दिर को प्राप्त हो जाते है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी कभी किसी भी राजस्व अभिलेख में मन्दिर की खुदकाश्त में दर्ज नहीं रही है। खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) सम्वत् 2011 लगायत 2029 में</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/3369/2004/जयपुर सरकार बनाम बादामी देवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 2 प्रहलाद के पिता भूरामल की कदीम काश्त दर्ज है। उक्त से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2के पूर्वाधिकारी विवादित आराजी पर टिनेन्ट की हैसियत से काबिज काश्त थे, जिनके नाम विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्रावधित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त हुए है। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों में विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा इसी आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि माफी पुनर्ग्रहण होने के समय जो व्यक्ति काश्तकार के रूप में दर्ज हो, स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्ति का हकदार हो जाता है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज नियमानुसार अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	